A Patera

न्यायालय-ए०के०गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड, (मध्यप्रदेश)

आपराधिक प्रक0क्र0-1266/15

संस्थित दिनाँक-16.12.15

राज्य द्वारा आरक्षी केंद्र—गोहद चौराहा जिला—भिण्ड (म०प्र०)

.....अभियोगी

विरूद्ध

राकेश पुत्र छविराम धाकड उम्र 38 साल निवासी मनोहरपुरा थाना पहाडगढ हाल शिवनगर घोसीपुरा, ग्वालियर

.....अभियुक्त

<u>—ः निर्णय ::—</u> {आज दिनांक 25.10.2017 को घोषित}

अभियुक्त पर भारतीय दंड संहिता 1860 (जिसे अत्र पश्चात "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 304 ए के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उसने दिनांक 12.10.15 को 03:10 बजे ग्राम सर्वा की बंबा की पुलिया के पास भिण्ड ग्वालियर रोड सार्वजनिक स्थान पर वाहन क्रमांक एम0पी0—06 सी0ए0—0142 को उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाकर अशोक को टक्कर मारकर उसकी ऐसी मृत्यु कारित की जो आपराधिक मानव बध की कोटि में नहीं आती।

2. अभियोजन कथा संक्षेप में इस प्रकार से है कि फरियादी रामवीर श्रीवास अपने सालें अशोक श्रीवास के साथ कार नंबर एम0पी0—07 सी0डी0 7628 से कंपनी के काम से गोहद दिनांक 12.10.15 को जा रहे थे। उनकी कार ग्राम सर्वा की बंबा की पुलिया के पास पहुंची इतने में भिण्ड तरफ से एक अज्ञात सफेद रंग की चार पहिया गाडी का चालक उक्त गाडी को तेजी व लापरवाही से चलाकर लाया और कार में टक्कर मार दी जिससे अशोक के सिर, माथे, नाक आदि में चोटें आई, जिन्हें इलाज के लिए गोहद अस्पताल ले गए जहां चिकित्सक ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। तत्परचात् मर्ग कायम किया गया। मर्ग जांच में अप०क0 237/15 पंजीबद्ध किया गया। शव परीक्षण कराया गया, नक्शामौका बनाया गया, कथन लेखबद्ध किए गए। वाहन जब्तकर जब्ती पत्रक, अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिर0 पत्रक बनाया गया, मैकेनिकल जांच कराई गयी बाद अनुसंधान अभियोग पत्र पेश किया गया।

- 4. अभियुक्त को पद क0 1 में वर्णित आशय के आरोप पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर उनके द्वारा अपराध करने से इंकार किया गया। दप्रस की धारा 313 के अधीन परीक्षण कराए जाने पर अभियुक्त ने निर्दोष होना एवं झूंटा फंसाया जाना बताया।
- प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न हैं
 - 1—क्या दिनांक 12.10.15 को 03:10 बजे ग्राम सर्वा की बंबा की पुलिया के पास भिण्ड ग्वालियर रोड सार्वजनिक स्थान पर मृतक अशोक श्रीवास की दुर्घटना जनित मृत्यु कारित हुई ?
 - 2. क्या उक्त दिनांक, समय व स्थान पर अभियुक्त ने वाहन क्रमांक एम०पी0—06 सी0ए0—0142 को उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाकर अशोक को टक्कर मारकर उसकी ऐसी मृत्यु कारित की जो आपराधिक मानव बंध की कोटि में नहीं आती ?

<u> –:: सकारण निष्कर्ष ::–</u>

6. अभियोजन की ओर से प्रकरण में दौलतराम अ०सा० 1, रामवीर अ०सा० 2, सुरेशदत्त मिश्रा अ०सा० 3, गोपसिंह अ०सा० 4, रामकरन शर्मा अ०सा० 5 व डा० ए०के० मुदगल अ०सा० 6 को परीक्षित कराया गया है जबिक अभियुक्त की ओर से कोई बचाव साक्ष्य नहीं दी गई है।

//विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1//

- 7. फरियादी रामवीर श्रीवास अ०सा० 2 यह कथन करते हैं कि घटना दिनांक 12.08.2015 की है। वे तथा उनका साला अशोक ग्वालियर से आ रहे थे। वे पिछली सीट पर बैठे थे। वे लोग ईओन गाड़ी से थे जिसका नंबर मालूम न होना बताते हैं और यह कथन करते हैं कि गोहद से पहले सर्वा की पुलिया पर सामने से एक कार आई और टक्कर हो गयी। साक्षी यह कथन करते हैं कि टक्कर करने वाली गाड़ी का क्या नंबर था, उन्हें नहीं मालूम परंतु वह तेज रफ्तार में थी। यह भी कथन करते हैं कि टक्कर के बाद वे बेहोश हो गए, आधे घण्टे बाद जब पुलिस आई तब होश आया। इसके बाद डैड बाड़ी को लेकर अस्पताल गए जहां मृत घोषित कर दिया गया। साक्षी प्र0पी० 1 की रिपोर्ट, प्र0पी० 2 के नक्शामौका पर ए से ए भाग पर हस्ताक्षर होने का कथन करते हैं। सफीना फार्म प्र0पी० 3 एवं नक्शा पंचायतनामा प्र0पी० 4 पर भी ए से ए भाग पर हस्ताक्षर किए जाने का कथन करते हैं। दौलतराम अ०सा० 1 अपने अभिसाक्ष्य में कथन करते हैं कि वे सर्वा की पुलिया के पास पैदल जा रहे थे तब दो जीपों में टक्कर हुई, एक व्यक्ति दुर्घटना में मौके पर खत्म हो गया, किन्तु कौन व्यक्ति खत्म हुआ इसका कोई कथन नहीं करते।
- 8. गोपसिंह अ०सा० 4 अपने अभिसाक्ष्य में यह कथन करते हैं कि दिनांक 12.10.15 को फरियादी रामवीर श्रीवास की रिपोर्ट से अप०क० 237/15 पर अपराध पंजीबद्ध किया था। उक्त

रिपोर्ट प्र0पी0 1 पर बी से बी भाग पर हस्ताक्षर का कथन करते हैं। सुरेशदत्त अ0सा0 3 अभिसाक्ष्य में कथन करते हैं कि 12.10.15 को उन्हें अपराध की अग्रिम विवेचना प्राप्त हुई थी जिसमें उन्होंने अशोक पुत्र घेरूलाल श्रीवास के मृत्यु जांच में उपस्थित होने के आवेदन प्रपी0 3 बनाया था जिस पर उनके बी से बी भाग पर हस्ताक्षर हैं। नक्शा पंचायतनामा प्र0पी0 4 पर भी बी से बी भाग पर हस्ताक्षर होने का कथन करते हैं।

9. डा० ए०के० मुदगल अ०सा० 5 दिनांक 12.10.15 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सक के पद पर पदस्थ होने का कथन करते हुए गोहद चौराहा से आरक्षक 646 द्वारा शव परीक्षण हेतु आवेदन पेश करने पर शव परीक्षण शाम 4:30 बजे किए जाने का कथन करते हुए बताते हैं कि मृतक अशोक श्रीवास के शरीर पर मृत्यु पूर्व की चोटें मौजूद थीं। आंतरिक परीक्षण में सिर के फन्टल एवं पैराईटल अस्थि में अस्थिमंग पाए जाने एवं मस्तिष्क का भाग फटा होना पाया था। मृतक की मृत्यु सदमा के कारण हुई थी जो मस्तिष्क में लगी चोट से आंतरिक रक्तस्राव होने के कारण कारित हुई थी। मृत्यु दुर्घटना से उत्पन्न होना प्रतीत हो रही थी एवं परीक्षण से 6 घण्टे के मीतर की थी। शव परीक्षण रिपोर्ट प्रपी० 9 पर ए से ए भाग पर हस्ताक्षर होना प्रमाणित करते हैं। प्रकरण में अभियुक्त की ओर से मृतक अशोक श्रीवास की दिनांक 12.10.15 को दुर्घटना जनित मृत्यु को कोई चुनौती नहीं दी गयी है। स्वयं चिकित्सक को भी यह सुझाव दिया गया कि तेज गति में पथरीली जगह पर गिरने से चोटें आना संभव थी। इस प्रकार से प्रकरण में यह तथ्य प्रमाणित है कि दिनांक 12.10.15 को मृतक अशोक श्रीवास की मृत्यु सडक दुर्घटना के फलस्वरूप कारित हुई थी। अब इस तथ्य का विवेचन किया जाना हैं कि क्या मृतक अशोक श्रीवास्तव की मृत्यु अभियुक्त के उपेक्षा अथवा उतावलेपन पूर्ण कृत्य से कारित हुई थी ?

//विचारणीय प्रश्न कमांक 2//

10. प्रकरण में घटना का सर्वोत्तम साक्षी फिरयादी रामवीर अ0सा0 2 है, जो कि अपने अभिसाक्ष्य में भिण्ड तरफ से एक कार के तेज रफ्तार में आकर उनकी कार में टक्कर मारने का कथन करता है और बेहोश हो जाने का कथन करता है। पुलिस के दुर्घटना से आधे घण्टे बाद आने पर होश में आना बताता है। दुर्घटना में लिप्त वाहन का कोई नंबर व चालक के संबंध में कोई कथन नहीं करता है, यहां तक कि कथित चार पिहया की गाड़ी कौनसी कंपनी और किस नंबर की थी, इस संबंध में भी कथन करने में अस्मर्थ है। साक्षी अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर दिए जाने पर सूचक प्रश्न में भी उपरोक्त तथ्य के संबंध में कोई कथन करने में अस्मर्थ रहा है। इसी प्रकार से घटना का चक्षुदर्शी दौलतराम अ0सा0 1 जो सर्वा की पुलिया पर दुर्घटना होना बताता है, वह दो जीपों में टक्कर होने का कथन करता है किन्तु कौन सी जीप थी और उसका क्या नंबर था, इसके संबंध में कोई भी कथन करने में अस्मर्थ है। प्रकरण में यह साक्षी भी पक्षविरोधी घोषितकर सूचक प्रश्नों में

दुर्घटना में लिप्त वाहन एम0पी0-06 सी0ए0-0142 के चालक द्वारा टक्कर मार देने का सुझाव दिए जाने पर इंकार करता है। इस प्रकार से अभियोजन के सर्वोत्तम दोनों साक्षीगण मामले का कोई समर्थन नहीं करते हैं। अन्य साक्षीगण अनुश्रुत साक्षी होने से अभियोजन द्वारा परीक्षित नहीं कराए गए।

- गोपसिंह अ०सा० 4 प्राथमिकी लेखक है जो अपने अभिसाक्ष्य में अभिकथित प्राथमिकी प्र०पी० 11. 1 लेख करना बताते हैं। वे स्वीकार करते हैं कि सफेद रंग की चार पहिया के वाहन के चालक के विरूद्ध रिपोर्ट लेख की थी, "कथित चार पहिया वाहन सफेद रंग के" कई वाहन हो सकते हैं। अभिकथित दुर्घटना में कथित वाहन एम०पी०-06 सी०ए०-0142 की संलिप्तता के संबंध में प्राथमिकी लेखक का कथन भी कोई लाभ अभियोजन को प्रदान नहीं करता। अनुसंधानकर्ता सुरेशदत्त अ०सा० 3 मुख्य परीक्षण में कथन करते हैं कि उन्होंने दिनांक 01.11.15 को बुलेरो क0 एम0पी0–06सी०ए० –0142 को जब्तकर जब्ती पत्रक प्र0पी० 5 बनाया था जिस पर ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। इस प्रकार से प्रकरण में अभिकथित वाहन कथित घटना 12.10.15 के 20 दिन पश्चात् जब्त किया गया है, न कि घटनास्थल पर घटना दिनांक को जब्त किया गया है। ऐसी दशा में अभियुक्त के आधिपत्य से वाहन जब्त मान भी लिया जाए तो घटना दिनांक को सुसंगत समय पर घटनास्थल पर अभियुक्त द्वारा उक्त वाहन उपेक्षा अथवा उतावलेपन से चलाया जा रहा था, इस संबंध में कोई भी सारवान साक्ष्य मौजूद नहीं हैं। यह भी आश्चर्यजनक रूप से उल्लेखनीय है कि फरियादी रामवीर अ०सा० २ जो कि कथित इओन गाडी में बैठा होना बताता है और दुर्घटना में बेहोश हो जाने का भी कथन करता है, उसे चोट आई हो, इस संबंध में कोई भी चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट नहीं हैं और न हीं उसके द्वारा कथन किया है कि उसे शरीर में कहीं चोट आई थी।
- 12. दाण्डिक विधि के अधीन अभियोजन को अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करना होता है अर्थात यदि एक सामान्य प्रज्ञावान व्यक्ति के मन में अभियुक्त के दोषी होने के संबंध में संदेह उत्पन्न हो जाए तो वह अपराध अभियुक्त के विरूद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं कहलाता है। अतः उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में अभियोजन अपना मामला अभियुक्त के विरूद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने दिनांक 12.10.15 को 03:10 बजे ग्राम सर्वा की बंबा की पुलिया के पास भिण्ड ग्वालियर रोड सार्वजनिक स्थान पर वाहन कमांक एम०पी०–06 सी०ए०–0142 को उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाकर अशोक को टक्कर मारकर उसकी ऐसी मृत्यु कारित की जो आपराधिक मानव बध की कोटि में नहीं आती। अतः अभियुक्त को धारा 304 ए के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।
- 13. अभियुक्त की जमानत भारहीन की जाती है, उसके निवेदन पर मुचलका निर्णय दिनांक से 6 माह तक प्रभावी रहेगा।

14. प्रकरण में जब्त शुदा वाहन उसके पंजीकृत स्वामी की सुपुर्दगी पर है अतः सुपुर्दगीनामा अपील अविध बाद बंधन मुक्त हो, अपील होने पर मान0 अपील न्यायालय के आदेश का पालन हो।

WITHOUT PARTON AND STATE OF THE PARTON OF TH

15. अभियुक्त की निरोधावधि कुछ नहीं।

निर्णय खुले न्यायालय में टंकित कराकर, हस्ताक्षरित, मुद्रांकित एवं दिनांकित कर घोषित किया गया । मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

ए०के० गुप्ता न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

ए०के० गुप्ता न्यायिक मजिस्द्रेट प्रथम श्रेणी गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश